

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : एफ 8(9)त.शि/2014 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 24.09.2019

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंषानुसार राज्यपाल महोदय निम्न अभ्यर्थियों को जिनकी जन्मतिथि उनके नाम के सामने अंकित हैं, कार्यभार संभालने की तिथि से प्रवक्ता, कम्प्यूटर के पद पर राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 (अभियांत्रिकी) के अंतर्गत बी.ई./बी.टेक (स्नातक) अभ्यर्थियों को रनिंग पे-बेण्ड संख्या-3(15600-39100) ग्रेड-पे स0 15 (रू 5400/-) में नियत वेतन 22,180/- एवं एम.ई./एम.टेक योग्यताधारियों के लिए न्यूनतम ग्रेड पे 6000/-रू. में नियत वेतन 24,030/- में अस्थायी रूप से 2 वर्ष के प्रोवेशन पर Subject to police & Degree verification नियुक्त कर (Provisional) उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है-

S. N O.	R.No.	Name of Candidate	Category*	Date of Birth	Merit No.	Posting Place
01	149602	सुश्री ज्योति जीनगर पुत्री श्री फतह लाल जीनगर, 21, ठक्कर बापा कॉलोनी, सूरजपोल बाहर, उदयपुर जिला-उदयपुर-313001.	SC WE	03.08.1981	M-41A	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़

*As per RPSC, Ajmer letter No. 23408 Dated July 17, 2019
Candidate Sandhya Lohiya (SC, WE, DV) (Merit No. 40) (Roll No. 150005) is now declared selected against GE, WE, WD post.

- उक्त अभ्यर्थियों को 2 वर्ष तक परिवीक्षाकाल के लिये मासिक स्थिर परिलाभ (रूपये बी.टेक अभ्यर्थियों को 22,180/- एवं एम.टेक अभ्यर्थियों को 24,030/-) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
- परिवीक्षाकाल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, अर्थात् परिवीक्षाकाल को वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जायेगा।
- परिवीक्षाकाल में स्थिर परिलाभों में से कोई कटौतियां (यथा जी.पी.एफ एवं स्टेट इंश्योरेंस) नहीं की जायेगी और इन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं कार्यग्रहण करने पर यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा।
- 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें प्रवक्ता पद की वेतन श्रृंखला 15600-39100 (बी.टेक अभ्यर्थियों को ग्रेड पे 5400/- एवं एम.टेक अभ्यर्थियों को ग्रेड पे 6000/-) देय होगी तथा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर इन्हें वेतन श्रृंखला में न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।
- वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13(1) एफ डी/रूल्स/2003 दिनांक 29.1.2004 के अनुसार इनकी नियुक्ति पर पेंशन नियम के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

6. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति वित्त नियम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1(2)एफ डी/रूल्स/2006 दिनांक 13.3.06, एफ 12(6) एफ डी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, एफ 13(1)एफ डी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अधीन होगी।
7. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्नक मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15(1)डीओपी/ए-11/74 दिनांक 01.01.75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी एवं तत्पश्चात ही कार्यग्रहण कर सकेंगे।
8. उक्त पदस्थापन आदेश DOP Circular F-1(5)DOP/A-2/17 dated 15-05-2018 के अन्तर्गत In case character & antecedents of the candidates is found not verified or any false information is given by the candidate in his/her self-declaration, the provisional appointment order will be cancelled forthwith and other criminal/legal action will also be taken, as a consequence. के अन्तर्गत Provisional है।
9. पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि में पदस्थापन स्थान पर अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर इनकी नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
10. उक्त पदस्थापन आदेश S.B. Civil Writ Petition Nos. 14746/2016, 12738/2017, 6757/2018, 13667/2018 के निर्णयों के अधधीन किया गया है।

आज्ञा से

—sd—

(अनिल कुमार अग्रवाल)

संयुक्त शासन सचिव त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र पत्रांक/ एफ-7(51) भर्ती /गोपनीय/2013-14/23408 दि० 17.07.2019 के क्रम में।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, राजस्थान जोधपुर को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को तुरन्त विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें एवं उक्त अभ्यर्थी के शैक्षणिक/योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन का कार्य शीघ्र सम्पन्न करवाकर विभाग को अवगत करवावें।
5. संबंधित प्रधानाचार्य, भेजकर लेख हैं कि उपरोक्त अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार ग्रहण करवाया जावें।
6. प्रभारी कोर्टकेस, तकनीकी शिक्षा।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी क्रम सं०.....01.....(रजिस्टर्ड डाक द्वारा)।
8. संध्या लोहिया, प्रवक्ता कम्प्यूटर, राज० पॉलि० उदयपुर।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।



(अजय जैन)

सहायक शासन सचिव त.शि.